फरीदाबाद
मजदूर समाचार

राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर **201** मार्च **2005**

कहत कबीर

टेढापन टेढेपन को बढाता है। टेढेपन का उपचार सीधापन है।

कैजुअल और ठेकेदारों के जरिये रखे जाते वरकर क्या-क्या कर सकते हैं (2)

— "कुछ नहीं कर सकते" — "कुछ भी करेंगे तो निकाल देंगे" जैसी बातों के काफी चर्चा में होने के दृष्टिगत आइये इस "कुछ" को थोड़ा कुरेद कर देखें।

इन पाँच-सात हजार वर्ष में ऊँच-नीच वाली समाज व्यवस्थाओं ने सहज-सरल-सामान्य को महत्वहीन और जटिल-कठिन-असामान्य को महत्वपूर्ण स्थापित करने के लिये बहुत पापड़ बेले हैं। ऊँच-नीच को जायज ठहराने, सिर-माथों पर बैठने को तर्कसंगत दिखाने के लिये यह करतब किये जाते रहे हैं। वीर-बलवान-बुद्धिमान सिर पर बैठेंगे.... ने ऐसी भाषा रची कि "कुछ" करने का मतलब असामान्य करना बना। माप-नाप के ऐसे पैमाने बनाये गये कि असामान्य ही इन पर दीखें।

ऊँच-नीच वाली समाज व्यवस्थाओं की यह भाषा नेताओं के मनमाफिक है। भाषण, गरम बातें, मुँह पर बोल देना, धरना, जलूस, नारेबाजी, दादागिरी, नेगोसियेशन, फलाँ तारीख, समझौता. ... यह सब "कुछ" करना करार दिये गये। सामान्य तौर पर यह आम मजदूर के बस से बाहर की चीजें हैं। कार्यस्थलों पर स्थाई मजदूरों की बड़ी सँख्या को मैनेज करने में कम्पनियों को नेता और उनका यह "कुछ" करना कन्धे देता था। इधर जगह-जगह स्थाई मजदूरों की सँख्या सिकुड़ गई है, सिकुड़ रही है... नेताओं और उनके "कुछ" करने की जमीन सिकुड़ रही है। असामान्य से मुक्त होने का माहौल बना है...

> "सबूत नहीं है" — इस बात को अक्सर ऐसे कहा जाता है आया सबूतों का बहुत महत्व हो और कैजुअल व ठेकेदारों के जरिये रखे जाते वरकर इन से वंचित हैं। जिन स्थाई मजदूरों का श्रम विभाग, श्रम न्यायालय व अन्य सरकारी विभागों से वास्ता पड़ता है उनके अनुभव सबूतों की हवा निकालने के लिये पर्याप्त हैं। अफसर-मन्त्री-वकील-जज के बिके होने की बात अपनी जगह, श्रम न्यायालय की ही बात करें तो : नियम-निर्देश तीन महीने में फैसला करने का है जबकि 6-8 महीने बाद तारीख लगना आम बात है और मामले में 5 वर्ष लगना सामान्य है। कोई जज अलग-सा हो जाये तो फिर हाई कोर्ट है.... और फिर वसूली के लिये दफ्तर-दफ्तर व तारीखें तो हैं ही। ऐसे में सबूतों से लैस स्थाई मजदूरों के 98 प्रतिशत मामले न्यायालय के फैसले से पहले ही रफा-दफा हो जाते हैं। दरअसल कानून अन्धा नहीं बल्कि काणा है : मजदूर हित पर पट्टी बन्धी है और कम्पनियों का साँझा हित देखना ही विधि-विधान का कार्य है। "सबूत नहीं है" की बजाय "क्या करोगे सबूत का?" हमारा प्रस्थान-बिन्दू बनता है।

पूरा माहौल ही सरल-सहज-सामान्य कदमों के महत्व के उभार का है। आम मजदूर, वह स्थाई हों अथवा कैजुअल या फिर ठेकेदारों के जरिये रखे, आम मजदूरों द्वारा उठाये जाते कदमों का महत्व किलेबन्दियों को ध्वस्त कर सामने आ गया है। "कुछ" करने की बजाय आइये अपनी सामान्य क्रियाओं को केन्द्र बिन्दु बनायें।

— साहबों को सुनाने की फिराक में रहने की बजाय आइये आपस की बातचीतें बढायें। ड्युटी के दौरान बातें करते हैं तब उत्पादन तो प्रभावित होता ही है — इसलिये भी मैनेजमेन्टें बात करने पर पाबन्दियाँ लगाती हैं। कार्यस्थल पर आपस में बातचीत से मन के तनाव कम होते हैं और तन के बोझ भी हलके कर सकते हैं। आपसी बातचीत हमें काम-काम-काम का पुर्जा बनने से हटाती है और एक-दूसरे की बातें हमें मनुष्यता के दायरों की तरफ लाती हैं। कार्य के दौरान एक जैसी परिस्थितियाँ झेलना एक साँझेपन का अहसास दिलाता है तो चर्चायें इस सब से निपटने, इससे पार पाने की तरफ ले जा सकती हैं। फैक्ट्री-कार्यस्थल से बाहर की चर्चायें कार्यस्थल-विशेष की बजाय कार्यस्थलों पर एक जैसी-सी परिस्थितियों को सामने ला कर व्यापक साँझेपन और व्यापक परिवर्तन के प्रश्न उठा सकती हैं। अति महत्वपूर्ण हैं आपसी बातचीतें!

— कार्यस्थलों पर सहज शारीरिक क्रियाओं को नहीं रोकना चाहिये। पानी नहीं पीने अथवा कम पीने और पेशाब रोकने से पत्थरी का खतरा बढ जाता है। टट्टी रोकना आँतों को सड़ा सकता है जो कि फिर पेट की बड़ी चीर-फाड़ लिये है। कार्य के दौरान बीच-बीच में सुस्ताना और हँसना-बोलना तन व मन के लिये जरूरी हैं, ऐसा करना कई बीमारियों से बचाता है। हमारी सहज शारीरिक क्रियाओं से उत्पादन प्रभावित होता है। यह हमारा अपनी सहज शारीरिक क्रियायें करना है जो कम्पनियों को रिलीवर रखने को मजबूर करता है, मजबूर करेगा। हमारी यह क्रियायें कम्पनियों के अनुशासन में फच्चर-दर-फच्चर डालती हैं।

— सिरदर्द होते हुये भी काम में जुटे रहना एक्सीडेन्ट का खतरा बढाना है — हाथ कटाना लिये है। कार्यस्थल पर सिरदर्द, पेट दर्द, बुखार होने पर दवा और दवा के लिये समय जरूर लेना चाहिये। कार्य के दौरान चोट लगने पर झेल कर काम में लगे नहीं रहना चाहिये — दवा-पट्टी अवश्य करवायें।

— जहाँ दो की जरूरत है वहाँ अकेले लग कर हीरो बनना कमर में ऐसा झटका दे सकता है जो दीर्घकाल तक बहुत दुखदायी हो सकता है। रोज-रोज खटना पड़ता है इसलिये जहाँ डेढ की आवश्यकता है वहाँ दो का लगना बनता है। शर्म-वर्म साहबों के लिये छोड़ दें। (जारी)

> *व्यवस्था अपने भद्देपन को छिपाती है — हकीकत का छिपा रहना व्यवस्था का कवच बनता है। हमारी चर्चायें-शिकायतें व्यवस्था के भद्देपन को उजागर कर व्यवस्था के कवच को भेदती हैं। यह जानते हुये कि सरकारें और उनके विभाग हमारे हितों के खिलाफ हैं, अधिकारियों को शिकायतें करना उनके भद्देपन को उघाड़ना लिये है जिसे ढकने के लिये जब-तब रियायत वाली बात रहती है। इसलिये शिकायतें करना बनता है।*

> *कालकोठरी जिसमें दरारें डालनी हैं, जिसे ध्वस्त करना है वह ईंट-लोहे-सीमेन्ट की नहीं बनी है। कालकोठरी यह व्यवस्था है, कालकोठरी एक सामाजिक सम्बन्ध है। कैजुअल और ठेकेदारों के जरिये रखे जाते वरकर इस से उस कार्यस्थल पर धकेले जाते हैं, इस सामाजिक सम्बन्ध की नंगी हकीकत से रूबरू हैं और इसे ध्वस्त करना उनकी तात्कालिक आवश्यकता है।*

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद-121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

कैजुअल कदम

अल्फा टोयो मर्जदूर : "प्लॉट 9 एच सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में ठेकेदार के जरिये रखे डाई कास्टिंग विभाग में हम 14 वरकरों की तनखा में से पी.एफ. राशि काटते हैं पर फार्म नहीं भरते। हमारे वार-बार कहने पर भी फार्म नहीं भरने पर हम ने कल 14 फरवरी को काम बन्द किया और आज हम लोग साहब से मिलेंगे।"

नूकेम वेअर वरकर : "20/6 मथुरा रोड पर क्रिस्टल बोतलबन्द पानी बनाती फैक्ट्री में कैजुअल वरकरों के वेतन से ई.एस. आई. व पी.एफ. के पैसे काटते थे। हमें जो कच्चा ई.एस.आई. कार्ड देते उस पर ई.एस.आई. डिस्पैन्सरी दवा नहीं देती थी और कम्पनी से अन्य फार्म लाने को कहती थी जिसे मैनेजमेन्ट देती नहीं थी। छह महीने बाद निकाल दिये जाने पर भविष्य निधि से पैसे निकालने के लिये फार्म भरने को कहा तो कम्पनी वाले बोले कि 2006 में भरेंगे! ऐसे में पुनः रख लिये गये हम 16 कैजुअल वरकरों ने हमारी तनखा से ई. एस.आई. व पी.एफ. के नाम से पैसे नहीं काटने को कहा। अब दो महीने से मैनेजमेन्ट यह पैसे नहीं काट रही।"

अनुभव

न्यू एलनबरी वर्क्स मजदूर : "14/7 मथुरा रोड स्थित फैक्ट्री में कुछ हासिल करने के लिये हम 261 स्थाई मजदूर एक यूनियन से जुड़े और नेताओं के निर्देश अनुसार चलने लगे। अप्रैल 04 की तनखा नहीं दी थी कि पहली मई को कम्पनी ने शर्तों पर हस्ताक्षर करने को कहा और यूनियन ने दस्तखत नहीं करने को कहा — 35 स्थाई मजदूर हस्ताक्षर कर फैक्ट्री में गये और 226 ने दस्तखत नहीं किये, फैक्ट्री के बाहर हो गये। स्टाफ, ठेकेदारों के जरिये रखों तथा कैजुअल वरकरों और नई भर्ती के जरिये पुलिस की छत्रछाया में कम्पनी में उत्पादन जारी रहा। हमें बाहर बैठे महीने पर महीना होता गया और यूनियन की 60 साँसदों तथा केन्द्र सरकार मुट्ठी में वाली बातें भाषणबाजी ही साबित हुई। पाँच-सात लोग ऐसे में दस्तखत कर अन्दर गये। यूनियन से जोड़ने में अग्रणी रहा और फैक्ट्री में यूनियन नेता बना बन्दा गुपचुप हिसाब ले गया। इधर 14 जनवरी को चण्डीगढ में मैनेजमेन्ट और यूनियन के बीच श्रम विभाग में समझौता हुआ : समझौते में मजदूरों को हड़ताली घोषित कर 8½ महीनों की तनखायें नहीं दी जायेंगी और कुल 136 को ड्युटी पर लिया जायेगा तथा 32 बरखास्त वाली बातें हैं। यूनियन के जरिये कुछ हासिल करने के चक्कर में 261 में से 83 मजदूरों की नौकरियाँ गई। जिन 136 को ड्युटी पर लिया है उनमें 36 को ही काम दिया है — 100 को फैक्ट्री में मैनेजमेन्ट खाली बैठा रही है।"

नहीं दी तनखा

जनवरी का वेतन कानून अनुसार 7 फरवरी से पहले 1000 से कम मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में देना था।

नूकेम केमिकल डिव, 54 इन्ड. एरिया, में जनवरी की तनखा 15 फरवरी तक नहीं; **नैपको गियर**, 20/4 मथुरा रोड, में जनवरी की तनखा 19 फरवरी तक नहीं; **एस.पी.एल.**, 21 सै-6, में डाइंग विभाग में ठेकेदार के जरिये रखों को दिसम्बर का वेतन 30 जनवरी को और जनवरी की तनखा 16 फरवरी तक नहीं; **रोलाटेनर्स** कम्पनी की फैक्ट्रियों में जनवरी की तनखा 14 फरवरी तक नहीं; **सिकन्द लि.**, 61 इन्ड. एरिया, में जनवरी का वेतन 15 फरवरी तक नहीं; **क्लच आटो**, 12/4 मथुरा रोड, में दिसम्बर की तनखा 28-29 जनवरी तक और जनवरी का वेतन 17 फरवरी तक नहीं; **ब्रॉन लैब**, 13 इन्ड. एरिया, में जनवरी की तनखा 16 फरवरी तक नहीं, ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को 1400-1500 रुपये महीना तनखा; **शिवालिक ग्लोबल**, 12/6 मथुरा रोड, में जनवरी की तनखा 17 फरवरी तक नहीं और साल-भर से काम कर रहों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं....

न्यूनतम से कम वेतन

हरियाणा में सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम तनखा अकुशल मजदूर- हैल्पर के लिये 8 घण्टे की ड्युटी पर 87 रुपये 16 पैसे और महीने में 4 छुट्टी पर 2269 रुपये 45 पैसे। यह कम से कम तनखायें हैं और 1 जुलाई 04 से लागू हैं। जनवरी से देय डी.ए. के पैसे की सूचना मार्च आरम्भ तक नहीं।

सोलोमन इन्डस्ट्रीज, 4 समयपुर रोड, में हैल्पर को 1800 रुपये तनखा और ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से भी कम; **अरोड़ा इन्टरप्राइजेज**, 30ए/66 बी हार्डवेयर चौक, में हैल्परों को 1200-1500 और ऑपरेटर को 2000 रुपये तनखा, 95 मजदूरों में 8-10 की ही ई.एस.आई. व पी.एफ. और साहब गाली देता है; **खेमका कन्टेनर**, 135 सै-24, में महीने के तीसों दिन काम पर कैजुअलों को 1650 रुपये और ठेकेदार के जरिये रखे हैल्परों को 1600 रुपये — सुपरवाइजर गाली देते हैं; **इको आटो**, पूर्व में एस्कोर्ट्स एनसीलरी, में ठेकेदारों के जरिये रखे हैल्परों को 70 रुपये दिहाड़ी — ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं; **शिव इंजिनियरिंग**, मुजेसर, में हैल्पर को 1500 रुपये तनखा, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं, बार-बार कहने पर पहली बार 4.16 प्रतिशत बोनस; **एस.बी. इन्टरप्राइजेज**, 630 सै-58, में हैल्पर को 1600 तथा ऑपरेटर को 2000 रुपये तनखा, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं और जनवरी की तनखा 19 फरवरी तक नहीं; **शेड्स**, 13/4 मथुरा रोड, में हैल्पर को 1800 रुपये तनखा, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं, बड़ी दुर्घटना पर पीछे की तारीख से ई.एस. आई. और फिर नौकरी से निकाल देना; **करण आटोमोटिव**, ढाँढा प्लान्ट इन्ड. एरिया, में हैल्परों को 1500-1700 रुपये तनखा और 200 मजदूरों में 10-12 की ही ई.एस. आई. व पी.एफ.; **एस.के.एन.**, 12/3 मथुरा रोड, में हैल्पर की तनखा 1900 रुपये, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से; **इम्पीरियल आटो**, 94 सै-25, में ठेकेदारों के जरिये रखे हैल्परों को 1700 रुपये तनखा, ई.एस.आई. कार्ड नहीं, पी.एफ. पर्ची नहीं, ड्युटी 12 घण्टे; **एक्जोटिक एक्सपोर्ट**, 12/6 मथुरा रोड, में हैल्पर को 1500 रुपये तनखा, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से, मैनेजर और सुपरवाइजर गाली देते हैं.........

रोशन :

रोशन लगभग ढाई साल का है। खुशमिज़ाज, कभी-कभार उधमी, कभी-कभार परेशान, अक्सर मस्त। रोशन के माँ-बाप और हम दो-तीन दोस्त पार्ट-टाइम नौकरियाँ/काम करते हैं, रोशन के लिये समय निकालते हैं। ★ तीन हफ्ते हुये रोशन को एक प्ले-स्कूल में भेजने लगे हैं। पहले एक-दो दिन उसे काफी मजा आया। पर अब रोजाना सुबह उठ कर रुटीन से स्कूल जाने का उत्साह उसमें नहीं दीखता। बहाने करने लगा है। सोना है, खाना है — वह सब जो उसे शायद लगता है कि बड़े लोग हमेशा उसे करने को कहते हैं। 'स्कूल में नाचने को मिलेगा' — खुद को ढाढस बँधाता है। ★ पास-पड़ोस में बच्चे कम हैं और बच्चों का (बड़ों का भी) मिलना-जुलना, धमा-चौकड़ी करना नदारद है। लगा कि स्कूल में और बच्चों का साथ रहेगा। हम लोगों की दो-तीन घण्टे की फुरसत का भी लालच है। ★ पर अब लग रहा है कि स्कूल में सर्वोपरि संबंध स्कूल के ढाँचे और अध्यापिकाओं से है। दूसरे बच्चों के साथ संबंध गौण है। यूनिफार्म पहनना, टाइम से जाना, अनुशासन में रहना, राष्ट्रप्रेम सीखना, चुप बैठना, लाइन में खड़े होना आदि स्कूल के नियम/रिवाज़ बहुत अखरते हैं। ★ इसी समय अमरीका से एक दम्पति आये जिन्होंने अपनी बेटी को आठ साल तक घर पर ही पढाया। पर ऐसा लगा कि वह बच्ची लोगों से मिलने-जुलने से कतराती है — थोड़ा चिपकू टाइप है। ★ रोशन धीरे-धीरे स्कूल जाने का अभ्यस्त हो जायेगा। शायद खुशी-खुशी भी स्कूल जाया करेगा। पर बुरा लगता है जो बच्चों के साथ हम कर रहे हैं। ★ और साफ, नजर आता है कि बच्चों को स्कूल के बजाय किसी और तरीके के समुदाय में पलने-बढने के मौके/जगह की जरूरत है अगर हम उन्हें हमारी इस सभ्यता के तौर-तरीके के अलावा कुछ और मौका/उम्मीद/विकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं।

— अमित

रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर सेंटर रूल्स 1956 के अनुसार स्वामित्व व अन्य विवरण का ब्यौरा फार्म नं. 4 (रूल नं. 8)

फरीदाबाद मजदूर समाचार

1. प्रकाशन का स्थान	मजदूर लाइब्रेरी आटोपिन झुग्गी, फरीदाबाद-121001
2. प्रकाशन अवधि	मासिक
3. मुद्रक का नाम	शेर सिंह (क्या भारत का नागरिक है? हाँ)
4. प्रकाशक का नाम	शेर सिंह (क्या भारत का नागरिक है? हाँ)
5. संपादक का नाम	शेर सिंह (क्या भारत का नागरिक है? हाँ)

6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार हों। केवल शेर सिंह

मैं, शेर सिंह, एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

दिनाँक 1 मार्च 2005 — हस्ताक्षर शेर सिंह प्रकाशक

हेराफेरी-दर-हेराफेरी

फैशनएज कॉरपोरेशन मजदूर : "14/1 मथुरा रोड स्थित फैक्ट्री में 300 मजदूर काम करते हैं जिनमें से आधों की ही गेट पर रजिस्टर में हाजरी लगती है। ई.एस.आई. व पी.एफ. आधे मजदूरों के ही हैं। दिहाड़ी 70 रुपये। सुबह 9-9½ से साँय 5½-6 बजे तक एक शिफ्ट है पर रोज रात 9 बजे तक तो रोकते ही हैं — अगले दिन की सुबह 4 बजे तक रोक लेते हैं। रात 1½-2 तक रोकते हैं तब 15 (कुछ को 20) रुपये भोजन के देते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से — हेराफेरी कर घण्टे भी कम दिखाते हैं।"

इण्डो इन्डस्ट्रीज वरकर : "335-6-7 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में ठेकेदार के जरिये रखे हैल्परों को 1200-1500 और ऑपरेटरों को 1800-2000 रुपये तनखा देते हैं — ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। मुख्य शिफ्ट सुबह 9 से रात 9 तक — ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। जल्दी, और जल्दी करो कहते साहब गाली देते हैं। इनके हिसाब से जो पैसे बनते हैं उनमें से भी 150-300 रुपये हर महीने काट लेते हैं। जनवरी की तनखा आज 16 फरवरी तक बाँट रहे हैं।"

सुपर अलॉय कास्ट मजदूर : "प्लॉट 62 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में बरसों से काम कर रहे 100 वरकर ऐसे भी हैं जिन्हें रिकार्ड में दिखा ही नहीं रखा। इन 100 को कैजुअल कहते हैं और इनकी ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। जनरल शिफ्ट में तो रोज-सा ही 12 घण्टे काम करना पड़ता है — ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।"

एस्कोर्ट्स वरकर : " फार्मट्रैक व अन्य प्लान्टों में भी ठेकेदारों के जरिये रखे जाते वरकरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जाता। ए.आर. कॉंट्रैक्टर, गणेश इलेक्ट्रिकल, लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल ठेकेदार 60-65-70 रुपये दिहाड़ी अधिकतर वरकरों को देते हैं। हमें परिचय पत्र नहीं दिये हैं और न ही गेट पास देते — वैसे ही फैक्ट्री में आते-जाते हैं, गेट पर गार्ड पहचानने लगे हैं। ज्यादातर की न तो ई.एस.आई. है और न ही पी.एफ.।"

सबरोस मजदूर : "प्लॉट 45 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्री में मैनेजमेन्ट ने स्थाई मजदूरों को भी ठेकेदार बना रखा है। ठेकेदारों के जरिये रखों की तनखा 1600-1800 रुपये — ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। ड्युटी की कोई सीमा नहीं — लगातार काम करते चार दिन हो जाते हैं, बीच-बीच में एक घण्टा भोजन के लिये। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से और हेराफेरी कर कई घण्टे कम्पनी खा जाती है। आठ-दस मजदूरों में से एक को 20-50 रुपये दे कर मैनेजर तेजी से काम करवाने का ठेका-सा देता है — हर समय चोट लगने का डर रहता है। मैनेजर गाली भी बहुत देता है।"

ए.पी. इन्डस्ट्रीज वरकर : "1 सी-22 ए स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 1500-1600 रुपये। चार-पाँच मजदूरों की ही ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं पर उनकी तनखा में से ही पूरी राशि काटते हैं और आधे हिस्से की बजाय कम्पनी मात्र 50 रुपये देती है।"

बी.एन.इन्डस्ट्रीज-रॉयल टूल्स मजदूर : "प्लॉट 74-75 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 100 स्थाई, 250 कैजुअल और ठेकेदारों के जरिये रखे 100 वरकर काम करते हैं — ई.एस.आई. व पी.एफ. सिर्फ स्थाई मजदूरों के हैं। अधिकारियों के छापे के समय कैजुअल व ठेकेदारों के जरिये रखों को फैक्ट्री से बाहर निकाल देते हैं — इधर दो महीने में यह तीन बार हो चुका है। फैक्ट्री में 75 पावर प्रेस हैं — हैल्परों से भी मशीन चलवाते हैं और हाथ कटने पर निकाल देते हैं। काम का इतना जोर है कि बीमार पड़ने पर फैक्ट्री नहीं पहुँचते तब आदमी भेज कर बुला लेते हैं। रोज ओवर टाइम और रविवार को भी काम — ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से और घण्टों में गड़बड़ करते हैं। हैल्परों को 1400 और ऑपरेटरों को 2000 रुपये तनखा।"

खेतान इलेक्ट्रिकल्स वरकर : "कम्पनी की प्लॉट 14 व 43 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्रियों में 400-500 मजदूर काम करते हैं — सब कैजुअल हैं अथवा ठेकेदारों के जरिये रखे हैं और किसी की भी ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं हैं। सिर्फ स्टाफ वाले स्थाई हैं। ड्युटी 12 घण्टे — ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से और घण्टों में हेराफेरी को सबूत दिखाने पर भी नहीं मानते। कैजुअलों की तनखा 1400-1500 रुपये और ठेकेदारों के जरिये रखों को 12 घण्टे रोज पर महीने में 2269 रुपये। चोट लगती रहती हैं — एक दिन पट्टी करा कर निकाल देते हैं। जनवरी की तनखा आज 16 फरवरी तक नहीं दी है।"

पूजा फोर्ज मजदूर : "14/5 मथुरा रोड स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं — ओवर टाइम के पैसे सवा की दर से। हैल्परों की ड्युटी ही 10 घण्टे रोज निर्धारित कर रखी है और 10 घण्टे प्रतिदिन काम के बदले महीने में 2200 रुपये देते हैं।"

ग्लोब कैपेसिटर वरकर : "कम्पनी की प्लॉट 22 बी तथा 30/8 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्रियों पर 12 फरवरी को अधिकारियों ने छापा मारा। मैनेजमेन्ट ने 22 बी में 35 मजदूरों को स्टोर में छिपा दिया और हाजरी व उत्पादन रजिस्टर इधर-उधर कर दिये। दोनों प्लान्टों में 10 घण्टे ड्युटी तो लेते ही हैं, उत्पादन में भी भारी वृद्धि 1 फरवरी से कर दी है। मैनेजिंग डायरेक्टर गाली देता है।"

रेक्सोर इण्डिया मजदूर : " प्लॉट 99 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 10½ घण्टे और 12 घण्टे की शिफ्ट हैं — सुबह 8 से साँय 6½ तक और रात 8 से अगली सुबह 8 बजे तक। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से भी कम देते हैं। चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर एम.सी. सोमाणी और बेटा सुनील गाली देते हैं।"

विक्टोरा टूल्स

विक्टोरा टूल्स इंजिनियर्स मजदूर

"कम्पनी का प्लॉट 46 सैक्टर-25 में। प्लान्ट I में यहाँ काम करते 250-300 मजदूरों में 6-7 स्थाई, 200 से ज्यादा कैजुअल और दो ठेकेदारों के जरिये रखे 50 वरकर हैं। ठेकेदारों के जरिये रखे हैल्परों को 1400-1500 और वैल्डरों को 2000-2200 रुपये महीना तनखा देते हैं — ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। दस वर्ष से ज्यादा समय से काम कर रहे वरकरों को भी कम्पनी कैजुअल कहती है और इन्हें ई.एस.आई. कार्ड नहीं, पी.एफ. नहीं। नये कैजुअल को 1875 रुपये महीना तनखा देते हैं। प्लान्ट में दो शिफ्ट हैं — सुबह 8 से रात 8½ बजे तक और रात 8 से अगली सुबह 8½ तक। ओवर टाइम काम के पैसे सिंगल रेट से।

"I प्लान्ट में टूल रूम बिलकुल बन्द है — रोशनदान भी नहीं हैं। भारी प्रदूषण की वजह से टूल रूम में काम करते 30 मजदूरों में से 7 को साँस की तकलीफें हैं। प्रदूषण विभाग, श्रम विभाग, ई.एस.आई. कॉरपोरेशन को शिकायतें की — कोई कार्रवाई नहीं।

"टूल रूम से भी ज्यादा परेशानी पावर प्रेसों पर है — I प्लान्ट में 50 के करीब पावर प्रेस हैं जिनमें कुछ न्यूमैटिक और ज्यादा मैकेनिकल हैं। अधिकतर पावर प्रेसों में ओपन डाई लगाते हैं। घण्टे के हिसाब से उत्पादन निर्धारित। पावर प्रेसों में सेफ्टी गार्ड नहीं, इनकी मेन्टेनैन्स नहीं करवाते, 12½ घण्टे काम-अत्याधिक काम और हैल्पर से पावर प्रेस चलवाना....... मजदूरों के हाथ काटने का एक अनन्त सिलसिला विक्टोरा टूल्स में जारी है। इन 5 वर्ष में I प्लान्ट में 50 मजदूरों के हाथ पावर प्रेसों पर कटे हैं। हाथ कटने के बाद कम्पनी पिछली तारीख से ई.एस.आई. का कच्चा कार्ड बनवाती है। इन हाथ कटे मजदूरों में से 30-35 तो अब भी कैजुअल वरकर के तौर पर यहाँ काम कर रहे हैं। कुछ मजदूरों की हाजरी प्लॉट 46 में और वे काम प्लॉट 118 में करते हैं।

"विक्टोरा ग्रुप की अन्य फैक्ट्रियाँ प्लॉट 118 व 176 सैक्टर-25, जी 354 जीवन नगर, 2 ई 111 में बाँगा उद्योग के नाम से तथा सीकरी गाँव में एस डी एल आटो के नाम से हैं। इन फैक्ट्रियों में 12½ घण्टे की एक शिफ्ट है और पावर प्रेस हैं। इधर 6 महीने में प्लान्ट I में 5 मजदूरों के हाथ कटे हैं, प्लान्ट II में एक का हाथ कटा है, प्लान्ट IV में 2 के, एस डी एल आटो में एक का और बाँगा उद्योग में 3 के हाथ कटे हैं। सब जगह हाथ कटने के बाद ई.एस.आई. का 3 महीने वाला कच्चा कार्ड बनवाते हैं।"

नीलकंठ वरकर : "प्लॉट 38 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्री में 20 मजदूर काम करते हैं पर रिकार्ड में 5-6 ही दिखाये हैं। अधिकारियों ने छापा मारा और सब मजदूरों के नाम लिख कर ले गये। हैल्परों की 1700-1800 और ऑपरेटरों की 2000 रुपये तनखा।"

दिल्ली से-

महिला मजदूर : "पति यहाँ दिल्ली में काम करते थे और मैं परिवार के साथ गाँव में रहती थी। मेरे गले में गिल्टी हो गई जिसे गाँव में ऑपरेशन ने और बिगाड़ दिया। बीमारी की जाँच- उपचार कराने पति के पास दिल्ली आई थी। फैक्ट्री में काम करते मेरे पति की ई.एस. आई. नहीं थी — ऐसे में पहले यहाँ निजी चिकित्सकों को दिखाया। पति का ई.एस.आई. कार्ड बनने के बाद अगस्त 02 से ई.एस.आई. अस्पताल में इलाज करवा रही हूँ। शुक्र मनाती हूँ कि ऑपरेशन नहीं होगा — इधर 6 महीने से लगातार दवा ले रही हूँ, 3 महीने और लेनी होगी। महीने में एक दिन ई.एस.आई. अस्पताल जाती हूँ — कम्पनी महीने में एक दिन ही छुट्टी देती है। पति बीच- बीच में ई.एस.आई. से दवा ला देते हैं।

" गले की गाँठ के अलावा कमर में भी दर्द रहता है फिर भी इन तीन वर्ष में मैं ओखला फेज I व II तथा बदरपुर में 7 फैक्ट्रियों में काम कर चुकी हूँ। पति के मना करने के बावजूद और बीमार होने व छोटे बच्चे के होते हुये भी नौकरी में जुटी हूँ क्योंकि पैसों के बिना आज इन्सान कुछ नहीं।

" औरत के काम करने में इज्जत नहीं है। महिलाओं को काम पर जाते देख लोग हँसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मैं भी पहले नौकरी करने जाती औरत को देख कर हँसती थी। महिला मजदूरों के लिये कोई कम्पनी अच्छी नहीं होती — एक्सपोर्ट लाइन तो हम औरतों के लिये कतई अच्छी नहीं है। पड़ोस से भी ज्यादा मजाक हमारा फैक्ट्रियों में उड़ाया जाता है।

" पहलेपहल मैंने कमरे पर ही चमड़े के जैकेटों पर फूल काढने का काम किया। ठेकेदार जैकेट दे जाता था। मैंने 3 महीने में 4- 5 हजार रुपये का काम किया पर फिर काम कम हो गया। तब मैंने पहली नौकरी की — चमड़े की फैक्ट्री में जैकेट की हाथ से निर्देश अनुसार सिलाई। कम्पनी में बहुत मजदूर काम करते थे और एक महिला ठेकेदार के जरिये हम 30 महिला मजदूरों को रखा था। आठ घण्टे की हमारी दिहाड़ी 60 रुपये थी और फिर 4 घण्टे ओवर टाइम काम होता था — हम सब औरतों के ओवर टाइम के पैसे ले कर ठेकेदार शीला भाग गई। कम्पनी का नाम नहीं मालूम पर प्लॉट ओखला फेज I में एफ- 40 था।

" किये काम के पैसे मारे जाने के बाद मैं सिलेसिलाये कपड़े निर्यात करने वाली कम्पनी में लगी। इसका भी नाम मुझे नहीं मालूम पर यह ओखला फेज I में डी- 59 में थी। यहाँ भी मैं ठेकेदार के जरिये लगी थी — 8 घण्टे काम पर 1600 रुपये महीना तनखा थी और रोज 4 घण्टे ओवर टाइम काम होता था। मैं कपड़े पर तारे- मोती जड़ने का काम करती थी। यहाँ ठेकेदार ने तय पैसे दिये पर बीच- बीच में काम कम होने पर बैठा देता था। फैक्ट्री में करीब 500 मजदूर थे।

" दो बार बैठा दिये जाने पर मैंने नई जगह काम ढूँढा। फिर ठेकेदार के जरिये लगी — 8 घण्टे की दिहाड़ी 65 रुपये और रोज 2 घण्टे ओवर टाइम। यह फैक्ट्री ओखला फेज I में बी- 64 में थी और यहाँ 1500 मजदूर काम करते थे पर मुझे कम्पनी का नाम नहीं मालूम। बच्चों के कपड़े बनते थे और मैं धागा काटने का काम करती थी। एक के कहने पर मुझे निकाल दिया।

"काम छूटने अथवा बैठा दिये जाने पर मैं जगह- जगह कम्पनियों के गेटों पर जा कर काम ढूँढती हूँ — साथ काम कर चुकी औरतें भी काम दिलाने में सहायता करती हैं। औरतों को काम मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं है।

"ओखला फेज II में एक कम्पनी में लगी — प्लॉट और नाम, दोनों ही याद नहीं। यहाँ भी ठेकेदार के जरिये लगी — 1500 रुपये महीना तनखा और रविवार की छुट्टी। रोज 4 घण्टे तथा रविवार को ओवर टाइम लगता था। दो महीने वहाँ काम करने के बाद मैं पहली बार कम्पनी द्वारा स्वयं भर्ती की गई। ओखला फेज II में ए- 55 में पैरामाउण्ट कम्पनी ने मुझे धागा काटने के लिये कैजुअल वरकर के तौर पर भर्ती किया। तनखा 1900 रुपये, रविवार को छुट्टी। रविवार को काम पर पैसे डबल रेट से देते थे। प्लॉट में 2 कम्पनी थी और 1500 से ज्यादा मजदूर काम करते थे जिनमें महिलाओं की बड़ी सँख्या भी। फैक्ट्री में रोज 12 घण्टे काम करना पड़ता था और तीन महीने बाद निकाल देते थे।

" पैरामाउण्ट से निकाल दिये जाने के बाद मुझे कई दिन खाली बैठना पड़ा। एक परिचित महिला मजदूर ने ओखला फेज I में बी- 139 में अमन फैक्ट्री में कम्पनी की तरफ से भर्ती करवाया। यहाँ 12 घण्टे काम के 110 रुपये देते थे — रविवार को छुट्टी नहीं। अमन में ब्रेक करने पर इधर मैं बदरपुर में एक फैक्ट्री में कम्पनी द्वारा भर्ती की गई हूँ। यहाँ 12 घण्टे रोज काम पर 26 दिन के 2863 रुपये देते हैं। रविवार को 12 घण्टे काम के 60 रुपये अलग से। रात 11 बजे बाद छोड़ते हैं तब कम्पनी की गाड़ी छोड़ कर जाती है। दो घण्टे फालतू काम के कोई पैसे नहीं देते। रात को देर तक काम से बहुत परेशानी है।

" मुझे कहीं भी ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिया गया। कहीं भी पी.एफ. नहीं। हर जगह हमें खड़े-खड़े काम करना पड़ता है - कम्पनियाँ बैठ कर काम करने की अनुमति नहीं देती। 12-14-16 घण्टे खड़े-खड़े काम करने से पाँव सूज जाते हैं - इधर मैं कमजोर हो गई हूँ और मेरे पैर काँपने लगते हैं तब बाथरूम में जा कर बैठती हूँ क्योंकि विभाग में बैठने नहीं देते। गर्दे के कारण कई औरतों के साँस की तकलीफ मैंने देखी है। निकालते हैं तब पहले नहीं बताते - काम खत्म होने पर कहते हैं कि कल से मत आना।

" आमतौर पर हम महिला मजदूरों में आपस में अच्छा व्यवहार बन जाता है - कोई इक्की -दुक्की तनाव भी पैदा करती है। हम सब मिल कर बराबर उत्पादन करती हैं - किसी का कम होता है तो हम मिल कर उसका पूरा कर देती हैं। दस-बारह दिन में ही हम आपस में तालमेल बना लेती हैं। जितना कम काम करेंगी उतना ही अच्छा है इसलिये हम सब बराबर काम करती हैं। साथ खाना खाती हैं, एक-दूसरे का बाँट कर खाती हैं - जाति नहीं पूछती, जाति से क्या फर्क पड़ता है। फैक्ट्री में हमारे बीच तालमेल ज्यादा रहते हैं और जलन कम रहती है।

" रोज सुबह 6 बजे उठती हूँ। खाना बनाती 8½- 8 ¾ पर ड्युटी के लिये निकल ही पड़ती हूँ — बहुत तेज पैदल चलती हूँ, बस लेती हूँ तो भारी भीड़ में सफर करती हूँ। फैक्ट्री में रात 9 बजे बाद रोकते हैं और पति भी जिस रोज 16 घण्टे ड्युटी कर रात 2 बजे आते है उस दिन तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। नींद पूरी नहीं होती — फैक्ट्री में टेबल पर कार्य करते समय 11 बजे और फिर दोपहर बाद 3- 4 बजे खड़े- खड़े नींद आती है। पति भी रोज 12 घण्टे ड्युटी करते हैं पर वे रविवार को कम्पनी बुलाती है तब भी काम करने नहीं जाते — कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन तो आराम के लिये चाहिये ही। मैं हफ्ते के सातों दिन 12- 16 घण्टे काम करती हूँ — पति की इच्छा रहती है कि मैं भी रविवार को छुट्टी करूँ पर ऐसा करने पर नौकरी से निकाल देंगे की धमकी रहती है। जब से ड्युटी कर रही हूँ, हम पति- पत्नी को एक- दूसरे के लिये समय मिलता ही नहीं।

" हमारा बड़ा बेटा अपने मामा के पास है। हमारे ड्युटी जाने के बाद छोटा बेटा अकेला रहता है। इधर हम ने उसे एक निजी विद्यालय में भर्ती करवा दिया है। दाखिले के 500 रुपये, 120 रुपये महीना फीस, 100 रुपये प्रति माह ट्युशन...... **बच्चा सुबह अकेला स्कूल जाता है। घर लौट कर एक घण्टे ट्युशन। फिर रात 9½ बजे तक अकेला रहता है। भूख लगती है तो अपनेआप खाना निकाल कर खा लेता है। छोटा और अकेला रहने के बावजूद आमतौर पर परेशान कम ही करता है पर इधर कुछ दिन से गुस्सा दिखाने लगा है- नहाता नहीं, कपड़े जानबूझ कर गन्दे करता है, खाना नहीं खाता, आटा फेंक देता है, मिलने आई सहकर्मी मिठाई लाई थी उसे उनके सामने फेंक दिया, आज रोटी छत पर फेंक दी.... बच्चे को क्या पता कि किराये का कमरा है और मकानमालिक के नियम- कानून के दायरे में नहीं रहो तो झाड़ सुननी पड़ेगी। मकानमालिक शिकायत करता है. .... गुस्से में कभी-कभी बेटे को मार देती हूँ। बच्चे को मारना कोई अच्छी बात नहीं... मार देती हूँ, तब पड़ोस के बच्चे के साथ खेलता भी नहीं। जब ड्युटी नहीं करती थी तब मेरा बेटा ऐसा नहीं था।"**

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। **RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73**
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी—546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।